

**कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।**(अनूपशहर रोड कासिमपुर मोड़, छेरत, अलीगढ़, पिन-202122, दूरभाष-0571-2960088)  
पत्रांक / 14-1(44699/2020)दिनांक: अलीगढ़:अप्रैल: 24, 2024

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद-हाथरस में नगला उम्मेद भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस- आगरा मार्ग) किमी0 03 (चैनेज-2.243) की बांयी पटरी खसरा संख्या-10 में मै0 इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 द्वारा न्यू रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.069777 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्या-एफ0पी0/ यूपी0/ एप्रोच/ 44699/ 2020

सन्दर्भ:-

- 1- भारत सरकार की पत्र सं0-08बी/यूपी0/06/68/2022/एफ.सी./498 दिनांक 01.02.2024
- 2- आपका पत्रांक-1950/11सी-एफ.पी./यू.पी./एप्रोच/44699/2020 दिनांक 06.02.2024.
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस का पत्रांक-2812/14-1 दिनांक 02.04.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस के सन्दर्भित पत्र से उपलब्ध कराया गया है, जो कि संलग्नक सहित ऑनलाइन कर निम्न प्रकार प्रेषित है:-

| Sl.No. | Observation                                                                                                                                   | Reply                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-     | DFO needs to take cognizance of the violation and initiate action as per FCA guidelines dated 15.05.2023 as directed and authorized by REC.   | प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त के अनुपालन में प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक-293/14-1, दिनांक 3.07.2023 द्वारा बन्द कराकर संरक्षित वन क्षेत्र के गैर वानिकी प्रयोग को तत्काल प्रभाग से बन्द किया जा चुका है तथा एफ0सी0ए0 गाइड लाइन दिनांक 15.05.2023 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0-0032 दिनांक 22.02.2024 दर्ज कराई जा चुकी है। (संलग्नक) |
| 2-     | A Detailed report regarding the same shall be submitted to this office for sending the proposal to the ministry for further necessary action. | उक्त प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम-1980 के उल्लंघन का विस्तृत कालक्रम संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

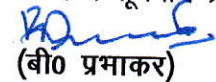
भवदीय,

  
(बी0 प्रभाकर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/  
प्रभारी- वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक-3460/ दिनांकित।

प्रतिलिपि:-प्रबन्धक इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड आई0ओ0सी0 भवन 65/2 संजय प्लेस आगरा-282002 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

  
(बी0 प्रभाकर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/  
प्रभारी- वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरसवनप्रभाग, हाथरस।

पत्रांक 2812 / 14-1, दिनांक: हाथरस: अप्रैल, 02 2024

सेवामें,

वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय:-

कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-Post Facto) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस-आगरा मार्ग) कि०मी० 03 (चैनेज-2.43) की बांयी पटरी खसरा संख्या-10 पर आई०ओ०सी०एल० द्वारा रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.069777 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू०पी०/०६/६८/२०२२/एफ०सी०/४९५ दिनांक ०१.०२.२०२४

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-Post Facto) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस-आगरा मार्ग) कि०मी० 03 (चैनेज-2.43) की बांयी पटरी खसरा संख्या-10 पर आई०ओ०सी०एल० द्वारा रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.069777 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव में सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर आख्या संस्तुति सहित निम्न प्रकार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

| क्र०स० | आपत्ति                                                                                                                                        | निराकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | DFO needs to take cognizance of the violation and initiate action as per FCA guidelines dated 15.05.2023 as directed and authorized by REC.   | उक्त के अनुपालन में उक्त प्रतिष्ठान इस कार्यालय के पत्रांक 293/14-1 दिनांक 3.07.2023 द्वारा बन्द कराकर संरक्षित वन क्षेत्र के गैर वानिकी प्रयोग को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जा चुका है तथा एफ०सी०एल० गाइड लाइन दिनांक 15.05.2023 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 0032 दिनांक 22.02.2024 दर्ज करायी जा चुकी है। (संलग्नक-1) |
| 2      | A detailed report regarding the same shall be submitted to this office for sending the proposal to the ministry for further necessary action. | उक्त प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन का विस्तृत कालक्रम संलग्नकर प्रेषित है। (संलग्नक-2)                                                                                                                                                                                                                                                     |

संलग्नक-अभिकरणद्वारा

भवदीय,

(डा० चन्द्रप्रताप सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

पत्रांक

/35-1 दिनांक

प्रतिलिपि-प्रबन्ध आई०ओ०सी०एल० आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० चन्द्रप्रताप सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।



# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग हाथरस।

Mandu Road Sokhna near R.T.O Office, Hathras- E-mail- dfohathras@gmail.com  
पत्रांक /14-1, दिनांक: हाथरस, फरवरी, 12, 2024

सेवामें,

थानाध्यक्ष,  
थाना चन्दपा हाथरस।

विषय :- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक क्रम में जनपद-हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) के किनारे की दोनो पटरियां उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के गजट वन विभाग, 10 फरवरी, 1960 द्वारा संरक्षित वन घोषित है जिस पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति लेना अनिवार्य है। परन्तु प्रयोक्ता अभिकरण मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० कार्यालय 65/2 संलय प्लेस आगरा एवं श्री विनय कुमार वाष्णीय, पुत्र श्री नन्मूल गुप्ता नि० बी-5 शान्तीकुन्ज, मुरसान गेट, हाथरस द्वारा जनपद-हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) किमी० 03 चैनेज 2.243 की बांयी पटरीपर खसरा सं०-10 में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा नवीन रिटेल आउटलेट (सौभाग्य फिलिंग स्टेशन) के निर्माण हेतु 0.069777 है० संरक्षित वनभूमि पर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 का उल्लंघन कर दण्डनीय अपराध किया गया है।

अतः FCA guidelines dated 15-05-2023 के अनुसार मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० कार्यालय 65/2 संलय प्लेस आगरा एवं श्री विनय कुमार वाष्णीय, पुत्र श्री नन्मूल गुप्ता नि० बी-5 शान्तीकुन्ज, मुरसान गेट, हाथरस जो पूर्णतः दोषी है के विरुद्ध वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

पत्रांक 2185/14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय वन अधिकारी, हाथरस को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित की थानाध्यक्ष, थाना कोतवाली हाथरस से सम्पर्क कर उक्त प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डा० चंद्र प्रताप सिंह)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।

(डा० चंद्र प्रताप सिंह)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।



**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)  
प्रथम सूचना रिपोर्ट  
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): हाथरस

P.S. (थाना): चन्दपा

Year (वर्ष): 2024

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0032

Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 22/02/2024 18:58

| S.No.<br>(क्र.सं.) | Acts (अधिनियम)             | Sections (धारा(एँ)) |
|--------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                  | वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 | 2                   |

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day  
(दिन):

Date From  
(दिनांक से):

Date To  
(दिनांक तक):

Time Period  
(समय अवधि):

Time From  
(समय से):

Time To  
(समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date  
(दिनांक): 22/02/2024

Time (समय): 18:53 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No.  
(प्रविष्टि सं.): 040

Date & Time  
(दिनांक और समय):

22/02/2024 18:53 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित



5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

- Direction and distance from P.S. उत्तर, 03 Beat No.  
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): किमी (बीट सं.):  
(b) Address सौभाग्य फिलिंग स्टेशन आगरा, हाथरस मार्ग थाना चन्दपा  
(पता);

- (c) In case, outside the limit of this Police Station, then  
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. District(State)  
(थाना का नाम): (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): श्रीमान डा0 चंद्र प्रताप सिंह प्रभागीय वनाधिकारी हाथरस वन प्रभाग हाथरस  
(b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम)  
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1984  
(d) Nationality (राष्ट्रियता): भारत  
(e) UID No. (यूआईडी सं.):  
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):  
Date of Issue (जारी करने की तिथि):  
Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

| S.No. (क्र.सं.) | Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) | Id Number (पहचान संख्या) |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1               |                                |                          |

- (h) Address (पता):

| S.No. (क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता)                                             |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | वर्तमान पता                  | वन प्रभाग हाथरस, हाथरस कोतवाली, हाथरस, उत्तर प्रदेश, भारत |
| 2               | स्थायी पता                   | वन प्रभाग हाथरस, हाथरस कोतवाली, हाथरस, उत्तर प्रदेश, भारत |

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9700000000

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars  
(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

| S.No.<br>(क्र.सं.) | Name (नाम)                                                                                               | Alias (उपनाम) | Relative's Name<br>(रिश्तेदार का नाम) | Present Address<br>(वर्तमान पता)                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | मुख्य प्रबन्धक<br>रिटेल सेल्स<br>इण्डियन आयल<br>कारपोरेशन<br>लिमिटेड<br>कार्यालय 65-2<br>संजय प्लेस आगरा |               |                                       | 1. IOCL कार्यालय 65/2<br>संजय प्लेस आगरा, हरि पर्वत,<br>आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत |
| 2                  | विनय कुमार<br>वार्ष्णेय                                                                                  |               | पिता का नाम : श्री<br>नन्मूल गुप्ता   | 1. बी-5 शान्ति कुंज मुरसान गेट,<br>हाथरस कोतवाली, हाथरस, उत्तर<br>प्रदेश, भारत   |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

| S.No.<br>(क्र.सं.) | Property<br>Category<br>(संपत्ति श्रेणी) | Property Type<br>(सम्पत्ति का प्रकार) | Description<br>(विवरण) | Value<br>(In Rs/-)<br>(मूल्य (रु में)) |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु)

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

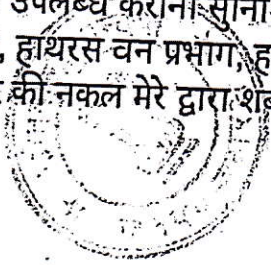
| S.No. | UIDB Number |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर टाइपशुदा कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग हाथरस पत्रांक 2185/14-1 दिनांक: हाथरस फरवरी 12, 2024 सेवा में थानाध्यक्ष थाना चन्दपा हाथरस।  
विषय- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के सम्बन्ध में। उपरोक्त विषयक क्रम में जनपद हाथरस में नगला-उम्मेद भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) के



किनारे की दोनो पटरिया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के गजट वन विभाग, 10 फरवरी 1960 द्वारा संरक्षित वन घोषित हैं जिस पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति लेना अनिवार्य है। परन्तु प्रयोक्ता अभिकरण मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० कार्यालय 65/2 संलय प्लेस आगरा एवं श्री विनय कुमार वाष्णेय, पुत्र श्री नन्नूमल गुप्ता नि० बी-5 शान्तीकुन्ज, मुरसान गेट, हाथरस द्वारा जनपद हाथरस में नगला उम्मेद नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस आगरा मार्ग) किमी० 03 चैनेज 2.243 की बांयी पटरीपर खसरा सं०- 10 में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा नवीन आउटलेट (सौभाग्य फिलिंग स्टेशन) के निर्माण हेतु 0.069777 है० संरक्षित वनभूमि पर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 का उल्लंघन कर दण्डनीय अपराध किया गया है। अतः FCA guidelines date 15-05-2023 के अनुसार मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० कार्यालय 65/2 संलय प्लेस आगरा एवं श्री विनय कुमार वाष्णेय, पुत्र श्री नन्नूमल गुप्ता नि० बी-5 शान्तीकुन्ज, मुरसान गेट, हाथरस जो पूर्णतः दोषी हैं के विरुद्ध वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। संलग्नक उपरोक्तानुसार। हस्ताक्षर sd अपठित (डा० चंद्र प्रताप सिंह) प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस पत्रांक /14-1 दिनांकित। प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय वन अधिकारी, हाथरस को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित की थानाध्यक्ष, थाना कोतवाली हाथरस से सम्पर्क कर उक्त प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। - (डा० चंद्र प्रताप सिंह) प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस नोट- मैं C/C 833 नितेश गौतम प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा शब्द व शब्द अंकित की गयी।



13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or  
(या)

(2) Directed (Name of I.O.) .....  
(जांच अधिकारी का नाम):

Rank I (Inspector)  
(पद):

No. to take up the investigation  
(सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.

District  
(ज़िला):

(थाना):  
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)



14 Signature/Thumb impression of the  
complainant / informant. (शिकायतकर्ता /  
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court  
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):



Signature of Officer in charge,

Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name PS KOTWALI

Rank I (Inspector)

No. 9454403576